पाठ 5

DMVD11

जिले का प्रशासन

हमारा प्रदेश एक बड़ा राज्य है। पूरे राज्य का शासन एक स्थान से चलाने में कठिनाई आती है। अतः शासन की सुविधा के लिए इसे कई जिलों में बाँट दिया गया है। प्रदेश के मानचित्र में अपने जिले का नाम देखिए। प्रशासन में जिला बहुत महत्वपूर्ण इकाई है। राज्य की उन्नति जिलों के अच्छे प्रशासन पर निर्भर करती है।

हमारे संविधान के अनुसार चुनी हुई सरकारें 5 वर्ष के लिए होती हैं एवं विभिन्न स्तरों पर उनकी सहायता के लिए सरकारी विभाग के अधिकारी व कर्मचारी होते हैं। यह जनप्रतिनिधियों की तरह जनता द्वारा निश्चित समय के लिए नहीं चुने जाते हैं बल्कि ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं एवं चयन प्रक्रिया द्वारा चयनित किए जाते हैं। ये 60 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्यरत रहते हैं।

एक जिलाधिकारी की दिनचर्या

आजमगढ़ जिले के जिलाधिकारी महेश कुमार का दफ्तर आजमगढ़ शहर में है। वह रोज दस बजे अपने दफ्तर पहुँचते हैं।

आज साढ़े ग्यारह बजे जिले के सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक है। यह बैठक जिलाधिकारी महेश कुमार के दफ्तर में है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, कृषि- सभी

विभागों के अधिकारी आए हैं। महेश कुमार ने एक-एक करके हर विभागाध्यक्ष से पिछले महीने किए गए कामों की जानकारी ली। जो काम नहीं हो पाए थे, उनमें आ रही समस्याओं के बारे में पूछा एवं निर्देश दिए। बैठक दो बजे तक चलती रही।

बैठक के बाद महेश कुमार ने फाइलें देखीं। उनकी मेज पर फाइलों का ढेर था। वह एक-एक करके फाइल पढ़ते जा रहे थे। उस पर अपने आदेश भी लिखते जा रहे थे।

एक फाइल में मनकापुर ग्राम पंचायत के सरपंच के विरुद्ध शिकायत थी। महेश कुमार ने फाइल पढ़ी। फिर फोन उठाकर उन्होंने अपने बाबू से कहा, "जरा जिला पंचायत अधिकारी से बात कराइए।"

अधिकारी की बात सुनकर महेश कुमार ने कहा "अच्छा ! पंचायत इंस्पेक्टर ने जाँच कर ली है? उसकी रिपोर्ट अभी मुझ तक पहुँची नहीं। जरा भेज दीजिए ताकि मैं कार्यवाही कर सकूँ। एक दो बातें और हुईं।" फिर महेश कुमार ने फोन रख दिया।

फाइल देखते-देखते तीन बज गए थे। रोज तीन बजे से साढ़े चार बजे तक महेश कुमार जिले के लोगों से मिलते हैं। आजमगढ़ जिले की सभी तहसीलों के लोग अपनी समस्याएँ लेकर जिलाधीश से मिलने आते हैं।

मेसदीहा तहसील का एक छोटा किसान आया है। उसकी जमीन पर किसी दूसरे ने कब्जा कर लिया था। इस किसान ने एक साल पहले तहसीलदार की कचहरी में अर्जी दी थी। वह कई बार तहसीलदार से मिल भी चुका था। पर अब तक उसकी सुनवाई नहीं हुई थी। महेश कुमार ने उससे अर्जी की एक प्रति लेकर रख ली और कहा कि वह खुद इस मामले में तहसीलदार से बात करेंगे।

इतने में एक और किसान वहाँ आया। "भैया जी, मैं अपने खेत पर कुआँ खुदवाना चाहता हूँ। कुएँ के लिए बैंक से सरकारी लोन भी चाहिए। मैं लोन के लिए अर्जी दे रहा हूँ। मेरे पास केवल तीन एकड़ जमीन है और मैं अनुसूचित जाति का हूँ। मुझे कर्जे में छूट के लिए खसरा, खतौनी और यह प्रमाण पत्र चाहिए। लेकिन लेखपाल ये प्रमाण पत्र नहीं दे रहा है। आप मुझे प्रमाणपत्र दे दें।

तहसील पिपलौदा के कुछ किसान आए थे। मनकापुर में बने बाँध की नहरें पास के गाँवों तक पहुँच गई थीं, पर उनके गाँव तक नहर का पानी नहीं आता था फिर भी सिंचाई कर लग रहा था। वे चाहते थे कि उनके गाँव में भी नहर साफ कराई जाए ताकि उन्हें भी सिंचाई का फायदा मिल पाए।

राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम-कानून और योजनाओं को जिलाधीश, तहसीलदार और लेखपाल जिले में लागू करते हैं। वे राज्य सरकार द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करते हैं। वे स्वयं कोई नियम-कानून या नीति नहीं बदल सकते हैं, न ही कोई नया कानून या योजना बना सकते हैं।

अगली सुबह पाँच बजे महेश कुमार के घर पर फोन आया। कहीं पर रुई के कारखाने में रखे कपास के ढेर में आग लग गई थी। जलती हुई कपास उड़कर आसपास भी जा रही थी। अभी भी आग को रोकने की कोशिश चल रही थी। महेश कुमार ने तय किया कि वह थोड़ी देर में उस स्थान के लिए रवाना होंगे। उन्होंने पुलिस अधीक्षक और सिविल सर्जन से साथ चलने को कहा। महेश कुमार ने जले हुए घरों के मालिकों को बीस-बीस हजार रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की। आग लगने की जाँच करवाने का भी वादा किया। महेश कुमार दोनों घायल मजदूरों से भी मिले। उन्होंने उन दोनों को दस-दस हजार रुपये देने की घोषणा की।

वापस आजमगढ़ लौटते समय महेश कुमार दो-तीन गाँवों में रुके। वहाँ के किसानों और पंचों से उनकी समस्याओं पर चर्चा भी की। तहसील से निकलकर मनकापुर में सरपंच के खिलाफ शिकायत के बारे में पता किया। शाम को अंधेरा होने के बाद ही वह आजमगढ़ वापस पहुँच पाए।

जिले का शासन

जिलाधिकारी जिले के समस्त अधिकारियों की सहायता से जिले का शासन चलाता है। जनता के हित के सभी कार्यों को जिलाधिकारी ही करता है। वह दौरों तथा बैठक के द्वारा जनता से सम्पर्क करता है। जिलाधिकारी समय-समय पर तहसील दिवस व अन्य बैठकों के द्वारा जनप्रतिनिधियों से विचार विमर्श व विभिन्न विभागों के अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा भी करता है।

जो आपने पढ़ा, उसके आधार पर बताइए कि जिलाधिकारी क्या-क्या काम करता है ? क्या

जिलाधिकारी कोई नया कानून बना सकता है ?

आपके जिले का जिलाधिकारी कौन है ?

जिला प्रशासन के कार्य

1.जिले में शान्ति और व्यवस्था बनाए रखना।

2.भूमि व्यवस्था जैसे- भूमि माप, खसरा, खतौनी का रख-रखाव व लगान की वसूली करना।

3.नागरिक सुविधा व सभी को विकास के समान अवसर देना।

हम सभी के लिए पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की सुविधा आवश्यक है। सभी जीवन की सुरक्षा चाहते हैं। इन कार्यों के लिए जिले में बहुत से सरकारी विभाग, अधिकारी व कर्मचारी होते हैं।

आइए जिले के कुछ अन्य अधिकारियों व उनके कार्यों को जानें-

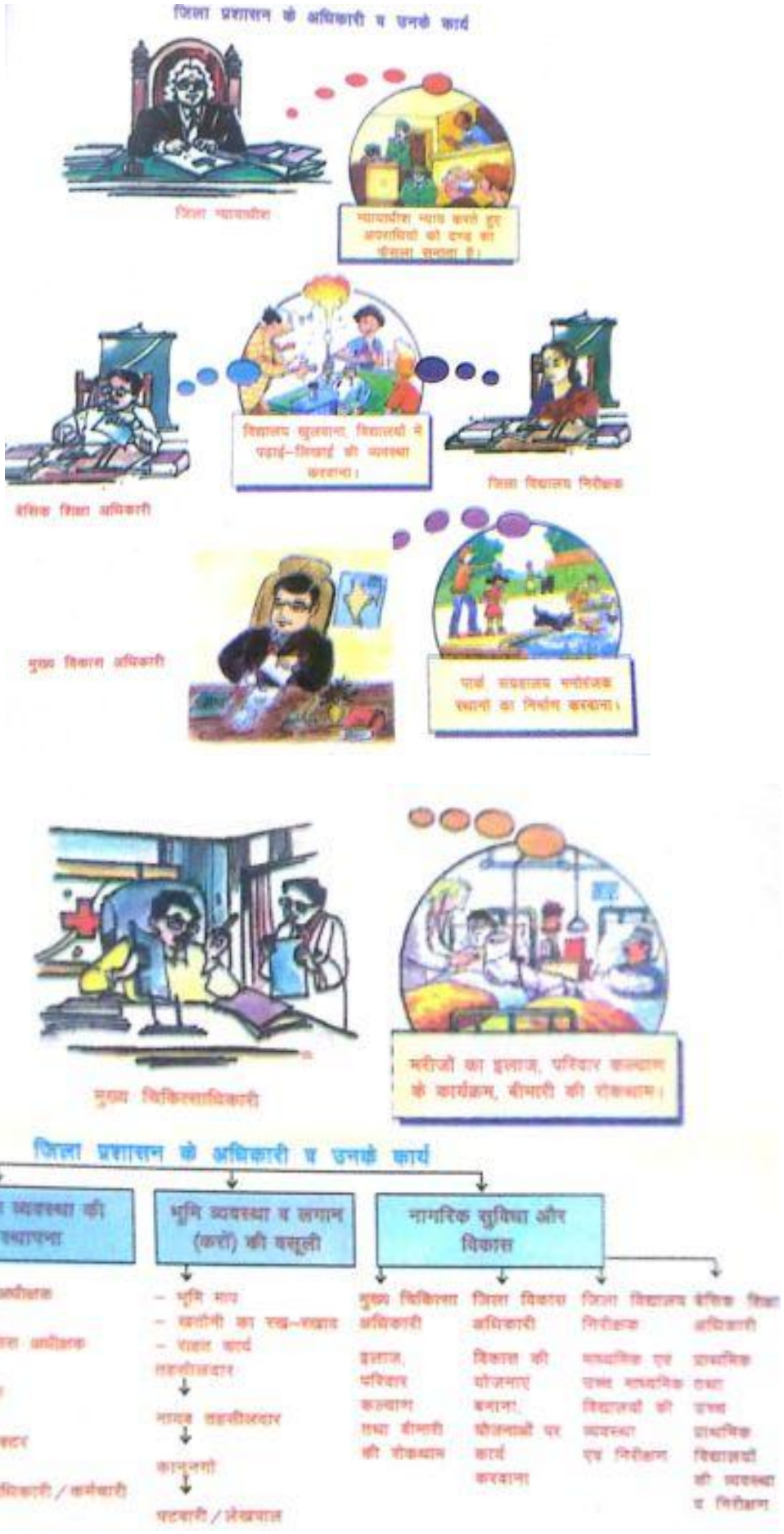

ये अपने-अपने क्षेत्र में काम करते हैं। पुलिस, लोगों के जान-माल व अधिकारों की सुरक्षा करती है। कानून तोड़ने वालों पर पुलिस मुकदमा चलाती है तथा न्यायालय द्वारा उसे सजा

मिलती है। सजा मिलने पर अपराधियों को जेल भी जाना पड़ता है। जिले की जेलों में अपराधियों को सुधार कर अच्छे नागरिक बनाने का प्रयास किया जाता है। जेल के मुख्य अधिकारी जेलर व डिप्टी जेलर होते हैं।

आपके क्षेत्र में कौन सा पुलिस थाना है ? नाम लिखिए।